

विचार बिन्दु

आपति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस। -विक्टर हूगो

क्या जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

सं

विधान निर्माणों ने संविधान में व्यवस्था दी है कि किसी के साथ जाति, रंग, धर्म के नाम पर भोटभाव नहीं होगा सभी को अधिकारिकी की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आरक्षण, पूजा व उसे मानने की होती है। अत्येक नागरिक को जीने का मूल अधिकार होता है। संविधान में सामाजिक न्याय को अधिक व राजनीतिक को स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आरक्षण, पूजा व उसे मानने की होती है।

दलित के साथ किये गए अन्याय की व्यक्ति प्रतिपूर्ति की तथा समानता के अधिकार की ओर उठाया हुआ कदम था। यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय का संबंध, अधिक न्याय से प्रयोग व्याप्त नहीं हो गई थी। वर्तमान में सामाजिक न्याय को इस अधिकार के कारण अपने पिछड़े, नहीं हो वे किमीलेर आ चुके हैं, यानी आरक्षण से बाहर हो गये। यह प्रक्रिया नानी धीमी होती है कि 95% अपनी पिछड़े ही हैं। अब उन तक पूरा हो जाना चाहिये था। किन्तु आरक्षण की मार्ग का वितान हो रहा है। आरक्षण की मार्ग जाति, उपजाति में उठाया जा रहा है।

जातिगत आरक्षण की लाभभाग अभी पार्टीों ने बुरा विचार माना है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जातीय गणना को विभाजनकारी व विवृश्चकारी तथा खत्तसाक वाला चुनी है, किन्तु वही पार्टी इसका स्वामानत कर रही है। कांगड़े से कहा भाजपा ने उसका विचार ही चुना लिया है। वर्तमान में आरक्षण आरक्षण का था और इसे अब उन तक पूरा हो जाना चाहिये था।

जातिगत आरक्षण की लाभभाग अभी पार्टीों ने बुरा विचार माना है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जातीय गणना को विभाजनकारी व विवृश्चकारी तथा खत्तसाक वाला चुनी है, किन्तु वही पार्टी इसका स्वामानत कर रही है। कांगड़े से कहा भाजपा ने उसका विचार ही चुना लिया है। वर्तमान में आरक्षण आरक्षण का था और इसे अब उन तक पूरा हो जाना चाहिये था।

इसमें कांगड़े कदम नहीं है कि देश में जगह जातियों के आंकड़े इच्छा किये गए हैं, किन्तु उस पर कोई कदम नहीं होता याद। कहते हैं कि भाजपा के अंकड़े इच्छा किये गए हैं, किन्तु उसका सार्वजनिक नहीं किया गया। रोहिणी आयोगी भी गतिहास किन्तु उसने क्या किया, किसी को पाता नहीं है। कोई विश्वास साथ यह नहीं कह सकता कि इस अंकड़े की क्या उपादेता होगी। राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ावे की बात कर रहे हैं, इसके लिये तो संवैधानिक संशोधन लाना होगा। आरक्षण का अर्थ है कि सरकारी नौकरी परन्तु सरकार के पास क्या नौकरियाँ हैं? कई प्रकार के विचार वाले लोग इस देश में हैं।

आरक्षण की समझने के लिये व्यवस्था की लम्बा इतिहास है। वर्ष 1978 में कपूरी ठाकुर ने विधान में अधिकारिक पिछड़े पक्ष के आधार व आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके फलत्वरूप राजनीति में एक तफान आ गया था। इस पर विचार करने व अनुरूपा देने के हेतु मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने अपनी सिफारियों के आधार पर 1971 में जनगणना और जाति आधारित गणना के लिये पिछड़े को अपनाया। उस समय अधिक पिछड़े पक्ष की बात छोड़ दी गई और उन धर्मों को आरक्षण का अपना दिल लगाया।

आरक्षण को समझने के लिये हमें विधान निर्माणी सभा की कमेटी के कार्य को समझना होगा और संविधान के अनुच्छेद 334 को स्वरूप देने के प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। विधान निर्माणी सभा के चेयरपर्सन बाबा साहब डा. अब्देलकर थे। संविधान के अनुच्छेद 334 में यह व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पार्लायर्मेंट व असेंटों की सीटें कैसे निर्धारित की जायेंगी। अनुच्छेद 334 जो 26.10.1950 में जनगणना और जाति आधारित गणना के दिनांक 29.01.1960 को स्वतः ही समाप्त हो जाने की व्यवस्था थी। एक प्रकार से यह संविधान का बेसिक स्टूकर का भाग था, जिसमें संसेधन के पक्ष में नहीं हो सकेगा। आशय तो इस बात की व्यवस्था ही कैसे निर्धारित की जायेगी। अनुच्छेद 334 को अपने विचार के लिये रखा गया जो समयावधि के बाद स्वतः ही Sunset Laws के अनुसार समाप्त होना था। बाबा साहब ने तो यहां तक कहा कहा था, जो संसद की कार्यवाही के रोकांडे से अधिकरत है कि 10 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं बढ़ाया। किन्तु दुर्भाग्य है कि संविधान की मार्यादा के प्रतीकूल प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसे 20, 30, 40, 50, 60, 70 व 80 वर्ष संविधान में संसेधन से कर दिया जाता है जो संवैधानिक है। इस सम्बन्ध में चुनौती देने वाली याचिकायें वर्ती से सुप्रीम कोर्ट में जेकराहैं हैं। यह जातिगत आरक्षण की लाभभाग अभी पार्टी के नेताओं में विद्युती है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण क